संख्या-41/2025/1418/001-78-01099-48-2023

प्रेषक,

नेहा जैन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊः दिनांकः 28-11-2025

विषयः- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीतियों के क्रियान्वयन हेतु गठित पीएमयू की कन्सल्टेण्सी संस्था को शुल्क भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी के पत्र संख्या-यूपीएलसी:आईसीपी:9064 (2024-25), दिनांक 17 अक्टूबर, 2025 एवं पत्र संख्या-यूपीएलसी:आईसीपी:9064 (2024-25), दिनांक 03 नवम्बर, 2025 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्रों के माध्यम से उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीतियों के क्रियान्वयन हेतु गठित पीएमयू की कन्सल्टेण्सी संस्था को शुल्क भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 आय-व्ययक के लेखाशीर्ष 2852-उद्योग-07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-20-उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रु0 389.31 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 369.22 लाख (रूपये तीन करोड उनहत्तर लाख बाईस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बंधित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-1637/दस-14(1)/75 दिनांक 26-06-1975 के वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए)(संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से किया जायेगा।

(5) किसी भी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त पी0एल0ए0/बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 उद्योग निदेशक, कानपुर तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) भुगतान की कार्यवाही पीएमयू में नियोजित जनशक्ति की MPR (M0nthly Progeses Report) के आधार पर की जायेगी तथा उक्त से आख्या से शासन को अवश्य अवगत कराया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है।

(9) उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ धनराशि से सम्बन्धित आंकड़ो की शुद्धता सुनिश्चित करेंगे।

(10) यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उक्त धनराशि की स्वीकृति से योजना के दिशा-निर्देश प्रभावित न हों।

(11) स्वीकृति धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27-03-2025 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 स्वयं उत्तरदायी होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,69,22,000 (रुपये तीन करोड़ उनहत्तर लाख बाईस हजार मात्र को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 2852072022000 उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

नेहा जैन

विशेष सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।

3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।

5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ, उ0प्र0।

6- संयुक्त निदेशक, उद्योग लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

7- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4, उ0प्र0, शासन।

9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/लघु उद्योग अनु0-3/आई0टी0 एवं इले0 अनुभाग-2, उ0प्र0, शासन।

10- अनु सचिव/नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम,आई0टी0 एवं इले0 विभाग, उ0प्र0शासन।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नेहा जैन

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।